



भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय
राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून

ग्रीन पार्क, निरंजनपुर, देहरादून (उत्तराखण्ड) - 248171

दूरभाष 0135-2629310 E-mail: nsti-dehradun@dgt.gov.in



Skill India

कौशल भारत - कुशल भारत

शिल्पकार प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए सूचना/ Admission Notice for CTS Course

संस्थान द्वारा शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत सत्र 2025-2026 में आयोजित किए जाने वाले DGT(NCVET) approved, NSQF-Level 3.5 के निम्न पाठ्यक्रम में प्रवेश हुतु इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं:-

1-सोलर टैक्नीशियन (इलैक्ट्रिकल)- 20 सीटें अवधि - 01 वर्ष

पात्रता:- उपरोक्त पाठ्यक्रम के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड/ विश्वविद्यालय से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

आयु: न्यूनतम 14 वर्ष (दिनांक 01.09.2025 को)

आरक्षण: भारत सरकार के नियमानुसार।

ऑनलाईन पंजीकरण: दिनांक 28.04.2025 से 25.07.2025 तक <https://forms.gle/9458vfyFv17pnNd19> पर किया जा सकता है। अधिक जानकारी या विवरण के लिए संस्थान की वेबसाइट <https://nstidehradun.dgt.gov.in> को देखें।

मेरिट का प्रकाशन: दिनांक 01.08.2025 को किया जायेगा।

प्रवेश लेने की अन्तिम तिथि: 08 अगस्त 2025 सायं 5:30 बजे तक होगी।

प्रवेश मेरिट के आधार पर दिया जाएगा तथा मेरिट 10वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर बनाई जाएगी।

Applications are invited from the interested candidates for admission in the following course of NSQF Level-3.5 Scheme approved by DGT(NCVET) for session 2025-2026 under the Craftsmen Training Scheme.

1-Solar Technician (Electrical) -20 seats Duration:- 01 year

Eligibility: For the above course, it is mandatory to pass 10th class. from any recognized Board/University.

Age: Minimum 14 years (as on 01.09.2025)

Reservation: As per the Rules of Government of India.

ONLINE REGISTRATION: from 28.04.2025 to 25.07.2025 can be done at <https://forms.gle/9458vfyFv17pnNd19> For more information or details, please visit the website of the Institute at <https://nstidehradun.dgt.gov.in>.

Date of Publication of Merit: 01.08.2025.

Last date for admission: 08 August 2025 till 5:30pm.

Admission will be given on the basis of merit and merit will be made on the basis of marks obtained in 10th class.

क्षेत्रीय निदेशक/ विभागाध्यक्ष